फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00202

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट
श्री कान्तिलाल उपाध्याय
जाति उपाध्याय
निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड़
जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 04 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरोही को दिनॉक 01.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा लॉकडाउन अवधि में भायन्दर महाराष्ट्र से आबूरोड़ तक का अनुचित परिवहन पास प्राप्त कर पाली जाने की शिकायत की गई थी उस पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिराही को दिनॉक 01.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया था कि उसके द्वारा लॉकडाउन अवधि में भायन्दर महाराष्ट्र से आबूरोड़ तक का अनुचित परिवहन पास प्राप्त कर पाली जाने की शिकायत की गई थी। उस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। ए.डी.एम सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 57 दिनांक 24.06.2020 को अपीलांट को सूचित कर दिया है कि सूचना उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत के कार्यालय से सम्बन्धित है अतः उनसे प्राप्त करे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना [illegible] सकारण/स्पष्ट [illegible]क आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल[illegible] दाखिल दफ्तर हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.01.12 16:46:52 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	209-10 13/8/20

Scanned with CamScanner